कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर(चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 119 / 2021

1. श्रीमती भादुदेवी पत्नि तुलछाराम उम्र 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम सांडवा तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान

वादीनी

बनाम

1. खीवाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
2. नथाराम पुत्र लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
3. पप्पी पत्नि बीरबल जाति रेगर निवासीनी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. बनारसी पुत्री रूपाराम जाति रेगर निवासीनी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. मोहनराम पुत्र हेमाराम जाति रेगर निवासी डूंगरगढ़ तहसील डूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान
6. शान्ति पुत्री रूपाराम जाति रेगर निवासीनी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. शान्ति देवी पत्नि गणेशाराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
8. सुखी पुत्री रूपाराम जाति रेगर निवासीनी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
9. सागरमल पुत्र रूपाराम जाति रेगर निवासीनी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान
11. उपपंजियक बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन हेतु"

उपस्थित :–

1. आमीन शेख एडवोकेट – वास्ते वादीनी
2. प्रतिवादी संख्या 10 – पेरोकार राज.

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एंव प्रविादीगण संख्या 1 ता 9 के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नं. 1080/404 तादादी 3.4146 हैक्टेयर वाके रोही सांडवा में स्थित है। जिसमें वादीनी बादुदेवी का 2/27 हिस्सा की खातेदारी की भूमि है एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 का 53/5691 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 13/135 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 59/135 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 83/1080 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1420/51219 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 83/1080 हिससा, प्रतिवादी संख्या 7 का 13/270 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 83/1080 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 का 83/1080 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने काफी अरसे पूर्व मौखिक विभाजन किया मौखिक विभाजन एंव कब्जा काश्त के मुताबिक वादीनी का खसरा नं. 1080/404 में पश्चिमी तरफ की 2/27 हिस्सा खरिद के आधार पर आयी व इसी प्रकार आज दिन कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें वादीनी एंव प्रतिवादीगण का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है व वादीनी को वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त होने के कारण वादीनी को सरकार लाभांश प्राप्त करने में परेशानीयों का समना करना पड़ता है। वादीनी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 का अपनी हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन आपसी तौर पर किया हुआ है तथा अलग अलग सिंवें कायम है परन्तू वादगत खेत कि खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसके कारण वादीनी को कई प्रकार की कानूनी आपतीयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 9 सिंवों को लेकर विवाद करते रहते है जिसके कारण वादीनी अपनी खरिदसुदा व कब्जा काश्त के वादगत खेत में अपने हिस्सा पांती भूमि खातेदारी की विधिवत आधार पर विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवाकर लगान का विभाजन करवाना चाहती है जिसकी वादीनी कानूनी अधिकारी है। वादीनी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत कि खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वो टालम टोल करते रहे। प्रतिवादीगण 1 ता 9 वादगत खेत की सिंव को काटकर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानियां धमकीयां देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो खरदसुदा हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेंगे, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने वादीनी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है। वादीनी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 10/09/2021 को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया वादगत खेत का जब तक विभाजन नहीं हो जाता है जब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिगत विभाजन करवाये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत कि खातेदारी शामीलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता आदि आदि वाद पेश किया।

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9 पर विधिवत तामील के बावजुद हाजीर अदालत नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9 के खिलाफ दिनांक 23/03/2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लायी गयी एंव प्रतिवादी संख्या 8 स्वयं व जरिये वकील उपस्थित आयी लेकिन उसने अपना जवाब पेश नहीं किया इस प्रकार दिनांक 26/05/2022 को प्रतिवादी संख्या 8 कि जवाबदेही बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 10 की और से पेरोकार राज ने प्रकरण में अपने जबाव में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया। काई जबावदेही नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी की और से अपने साक्ष्य में वादीनी स्वयं ने सशपथ बयान किये है व वादीनी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2076–79 जो प्रदर्श– 1 व नक्शा अक्स जो प्रदर्श 2 है पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई जिसमें वकील वादी ने निवेदन किया की प्रस्तूत दस्तावेज प्रदर्श 1 से बखुबी प्रमाणीत है कि वादीनी मुताबिक राजस्व रेकार्ड के 2/27 हिस्सा की खातेदार कृषक है व वादीनी का खेत खसरा नंबर 1080/404 तादादी 3.4146 है. वाके रोही सांडवा में पश्चिमी तरफ की 2/27 हिस्सा पर अपना कब्जा काश्त खरिद के समय से ही चला आ रहा है। वादीनी का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एंव बाउण्डस के आधार पर किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक खातेदारी दर्ज कर अलग अलग लगान कायम जावें। पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया जाकर एवं बहस पक्षकारान् के अधिवक्ता की सुनी जाकर पत्रावली में दिनांक 01/07/2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बीदासर को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतू लिखा गया।

प्रारम्भिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार बीदासर द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा दिनांक 15/12/2022 को प्रस्तुत किया। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता पक्षकारान् को सुना गया। किसी भी पक्षकार द्वारा विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा का किसी प्रकार का विरोध पत्रावली में प्रस्तुत नहीं है। प्रारम्भिक डिक्री स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रारम्भिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार बीदासर द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा दिनांक 15/12/2022 को स्वीकार कर हस्तगत प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकार की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादगत खसरा नम्बर 1080/404 तादादी 3.4146 हैक्टेयर रोही सांडवा में से वादीया का 1080/404/2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर का खाता अलग कर तथा बाकी भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खातेदारी दर्ज कर खाता विभाजन करते हूए अलग लगान कायम कर नक्शा तरमीम किया जाये। अन्तिम डिक्री एवं आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जाये। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16/12/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, चूरू

Scanned by CamScanner